इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त 2014—श्रावण 21, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2014

फा. क्र. 22-2014-चार-वि.स.उ.चु.-583.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं 576-एक्जिट-2014-एस.डी.आर-(उप-निर्वाचन) दिनांक 05 अगस्त, 2014 एवं अधिसूचना सं 576-EXIT-2014-SDR(BYA-LA) Dated: 5th August 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 576-एग्ज़िट-2014-एस-डी.-आर.(उप-निर्वाचन).—यत: बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और पंजाब विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचनों के कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 19 जुलाई 2014 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई-पीएन-35-2014 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और, यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्ज़िट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतत्‌द्वारा 21-8-2014 (बृहस्पतिवार) को पूर्वाहन 07:00 बजे से अपराह्न 06:30 बजे के बीच. की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई-पीएन-35-2014, दिनांक 19 जुलाई 2014 द्वारा घोषित बिहार की 3-नरकटियागंज, 37-राजनगर (अ.जा.), 87-जाले, 118-छपरा,

123 -हाजीपुर, 137-मोहिउद्दीननगर, 151-परबत्ता, 156-भागलपुर, 161-बॉका, 204-मोहनिया (अ.जा.), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक की 2-चिक्कोडी-सदालगा, 93-बेल्लारी (अ.ज.जा.) और 115-शिकारीपूरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश की 92-विजयराघवगढ़, 94-बहोरीबंद और 166-आगर (अ.जा.), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और पंजाब की 94-तलबन्डी साबो और 115-पटियाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा.

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (2) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप निर्वाचन के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 5th August 2014

NOTIFICATION

No. 576-EXIT-2014-SDR(Bye-LA).—Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the Legislative Assemblies of Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh & Punjab have been announced by the Commission *vide* Press Note No. ECI-PN-35-2014 dated 19th July, 2014;

2. And, Whereas, as per the provisions of Section 126A of the R. P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R. P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) (b) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A. M. and 6.30 P. M. on 21-8-2014 (Thursday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced *vide* the Commission's Press Note No.ECI/PN/35/2014, dated 19th July, 2014 from 3-Narkatiaganj, 37-Rajnagar (SC), 87-Jale, 118-Chapra, 123-Hajipur, 137-Mohiuddinnagar, 151-Parbatta, 156-Bhagalpur, 161-Banka and 204-Mohania (SC) Assembly Constituencies in Bihar, 2-Chikkodi-Sadagla, 93-Bellary (ST) and 115-Shikaripura in Karanataka, 92-Vijayraghavgarh, 94-Bahoriband and 166-Agar (SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh and 94-Talwandi Sabo & 115-Patiala Assembly Constituencies in Punjab, Shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126 (1) (b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By order,
Sd./-
(ASHISH CHAKRABORTY)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.